

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जौनपुर।

सेवामें,

प्रबन्धक,
सनबीम स्कूल कुल्हनामऊ
सिकरारा, जौनपुर।

पत्रांक:

बे0-2/ 416-8-14

/2012-13

दिनांक- 3-7-12

विषय:

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके तारीख..... के आवेदन पर शिक्षा निदेशालय उओप्र0, इलाहाबाद स्तर पर गठित राज्य स्तरीय मान्यता समिति द्वारा लिए गये निर्णय दिनांक 26-07-2012 एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) उओप्र0 शिक्षा सामान्य (2) अनुभाग, इलाहाबाद के आदेश सं0- सामान्य (2)/1249-52/2012-13 दिनांक 31-07-2012 के क्रम में मैं सनबीम स्कूल कुल्हनामऊ सिकरारा, जौनपुर को 01-07-2012 से 30-06-2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-नर्सरी से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तमान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाधता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के..... प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा-2 में दिर्घिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 का उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा; सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- 5- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सभूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया-कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

Shubha S
प्रबन्धक
सनबीम स्कूल
कुल्हनामऊ सदर जौनपुर

Principal
Sunbeam School
Kulhanamau
Machhabad Sadar
Jaunpur

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :
कुल निर्मित क्षेत्र :
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल : उपलब्ध है।
कक्षाओं की संख्या :
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भांडागार के लिए कक्ष:
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय : उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा : उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच : उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता:
9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जाएंगी।
10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12- स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, एकाउन्टेड द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14- आपके विद्यालय का आर्वाटिड मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जावें।
16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17- संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18- उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मान्यता आदेश निर्गत करने के उपरान्त विद्यालय की मान्यता हेतु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों, प्रपत्रों, सूचनाओं तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या में वर्णित सूचनाओं के त्रुटिपूर्ण/मिथ्या/भ्रामक/तथ्यगोपन की स्थिति किसी भी स्तर पर पायी जाती है तो आपके विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/अधिनियमों में वर्णित समस्त नियमों का एवं शर्तों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(राम प्रवेश)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

दिनांक-उसी तिथि को।

पू०सं०.बे०-2/ 4608-14 /2012-13
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 3- खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास क्षेत्र जौनपुर/नगर शिक्षा अधिकारी, जौनपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
- 5- अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
- 6- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
- 7- कार्यालय गार्ड फाइल।

Principal

Sunbeam School
Kulhanamau
Kailchabad Sadar
Jaunpur

प्रबन्धक
सनबीम स्कूल
कुल्हनामक सदर जौनपुर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जौनपुर।
15/7/2020

(राम प्रवेश)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।